संख्या-95/2024/570जे०/22-5-24-300(52)/2017

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2024**

विषय- जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राकेश कुमार उर्फ राजेश पटेल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद का उपचार सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल, वाराणसी में कराये जाने हेतु धनराशि रू० रू० 3,00,000/ - (तीन लाख रूपये मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के के पत्र संख्या-21477/सामा-1(3)/67/बं0चि0धना0-राकेश/24, दिनांक 16-07-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी राकेश कुमार उर्फ राजेश पटेल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद का उपचार सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल, वाराणसी में कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय के के अन्तर्गत धनराशि रू० 3,00,000/ - (तीन लाख रूपये मात्र) की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करतीं हैं :

(1) उक्त बंदी का उपचार सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल, वाराणसी में ही कराया जायेगा तथा उपचार के उपरान्त यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा करा दिया जाय।

(2) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत बंदी का उपचार कारागार विभाग द्वारा कराया जाना उसकी जीवन रक्षा के लिए अपरिहार्य एवं आवश्यक है तथा उक्त बंदी के शीघ्र ही ही कारागार से रिहा होने की कोई सम्भावना नहीं है।

(3) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2024-2025 के अनुदान संख्या-25, लेखाशीर्षक-2056-जेले-आयोजनेत्तर-101-जेले-03-समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

--2

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या:27/2024/ 149जे0/22-5-24-300(52)/ 2017, दिनांक 19-03-2024 के अन्तर्गत कोई धनराशि आहरित नहीं की गयी है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ई-12-251/दस-2014-01/2014, दिनांक 13-08-2014 में दिये गये निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 95/2024/570जे0(1)/22-5-24, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in